THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Divergent views prevail on the subject. The Government, however, is alive to the situation and is taking both curative and preventive steps. As curative steps, basic amenities are being provided under the state sector scheme of Environmental Improvement of Urban Slums (EIUS). Slum Upgradations are also being taken up under the World Bank assisted urban development projects in various cities/towns. Considering the cite problems in Bombay, it has been decided to provide a non-plan Grant of Rs. 100 crores to Government of Maharashtra for solving the acute problems of housing and slums in Bombay. As preventive step, small and medium towns are being developed under the Centrally Sponsored Scheme of IDSMT, so as the check migration rates to major cities. The Centrally Sponsored Scheme of Urban Basic Services has also been started to improve the degree and quality of survival and development of children of the urban low income families.

**हिन्दी उप-शीर्षकों के साथ क्षेत्रीय फिल्मों का प्रचारण**

2258. **श्री पंचोर नगाडोलिया :** क्या सूचना और प्रचारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन क्षेत्रीय फीचर फिल्में अंग्रेजी उप-शीर्षकों के साथ प्रचारित करता है;

(ख) क्या सरकार क्षेत्रीय फीचर फिल्में हिन्दी उप-शीर्षकों के साथ प्रचारित करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पंचोर कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रचारण मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) जी हां। राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रादेशिक फीचर फिल्में अंग्रेजी उप-शीर्षकों के साथ टेलीकास्ट की जाती हैं।

(ख) और (ग) दिल्ली दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली प्रादेशिक भाषाओं की सभी फीचर फिल्में टेलीकास्ट करने के लिए निर्माताओं/टी.वी. अधिकार धारकों द्वारा दूरदर्शन को प्रदान की जाती हैं। उप-शीर्षकों के साथ फिल्मों के प्रिंट भी उनके द्वारा सप्लाई किए जाते है। निर्माता केवल दूरदर्शन पर टेलीकास्ट करने के लिए ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परिचालन की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से उप-शीर्षक अंग्रेजी में करवाते हैं। फिल्मों के उप शीर्षक हिन्दी में करवाने की सुविधा सभी फिल्म निर्माण केन्द्रों में उपलब्ध नहीं है। यदि निर्माताओं/टी.वी. अधिकार धारकों द्वारा हिन्दी उप-शीर्षकों के साथ प्रादेशिक फिल्में प्रदान की जाती है तो दूरदर्शन हिन्दी उप-शीर्षकों के साथ इन्हें टेलीकास्ट करने पर विचार करेगा।

टेलीकास्ट करने से पहले उद्घोषक द्वारा क्षेत्रीय फिल्म का सार हिन्दी में दिया जाता है।

**आदिवासी कृषकों को लाभ**

2259. **श्री अजीत जोगी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकतर आदिवासियों को लघु और सीमांत कृषकों को दी जाने वाली विशिष्ट सुविधाओं/योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है क्योंकि उनके पास जो भूमि होती है उपयुक्त श्रेणी के लिए निर्धारित सीमा से अधिक होती है यद्यपि यह भूमि पथरीली, अनुपजाऊ और अनुपयोगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आदिवासियों को लघु और सीमांत कृषकों के लिए बनायी गई विशेष योजनाओं के लाभ दिलाने हेतु उनके लिए उपरोक्त सीमा को बढ़ाएगी;

(ग) क्या सरकार अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों को इन योजनाओं के लाभ पहुंचाने के लिए ऐसी भूमि को, जो कोई भी फसल उगाने के लिये अनुपयुक्त है, ध्यान में न रखने का विचार रखती है; और

(घ) कृषि मंत्रालय द्वारा लघु और सीमांत कृषकों के लाभ के लिये आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं के कुल लाभ भोगियों में आदिवासी लाभ-भोगियों का प्रतिशत कितना है?

**कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव)**: (क) से (ग) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे तथा सीमान्त कृषकों की सहायता देने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत आदिवासी छोटे तथा सीमान्त कृषकों को 50 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है, जबकि अन्य छोटे तथा सीमान्त कृषकों को क्रमशः 25 प्रतिशत और 33-1/3 प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जाती है। इस श्रेणी से संबंधित आदिवासी कृषकों सहित छोटे तथा सीमान्त कृषकों की जोतों के बड़े आकार को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तथापि सभी श्रेणियों के आदिवासी कृषकों के लाभ के लिए आदिवासी क्षेत्रों में मक्का की सघन खेती के प्रदर्शन की एक विशेष योजना है।

(घ) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे तथा सीमान्त कृषकों की सहायता देने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों पर अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के कृषकों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल किए जाने पर जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय परिस्थितियों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के समुदायों के सामने आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना, तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि कार्यक्रम और मिनिकिट प्रदर्शन कार्यक्रम जैसी योजनाओं में एक विशेष घटक रखा गया है।

2260. [*Transferred to the 22nd* August 1988].

**Minerals in Cuddupah District of Andhra Pradesh**

2261. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are valuable minerals in large quantities including uranium in Cuddupah district of Andhra Pradesh;

(b) if so, what are those minerals; and

(c) what are the proposals to dig out those minerals?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR): (a) and (b) Yes Sir. A number of valuable minerals occur in large quantities in Cuddupah district i.e. Barytes: 74 Million Tonnes of all grades; Limestone: 4000 Million Tonnes of all grades; Base Metals: 2.88 Million Tonnes; Clay: 58 Million Tonnes; and Asbestos: 17000 Tonnes. Besides the above, Dolomite, Calcite, Ochre and small quantities of Phosphorite are also available. Uranium occurrences are also reported.

(c) Limestone, Barytes, Asbestos, Clay deposits, dolomite, Calcite and Ochre are being mined both by Private and Public Sectors.

**Shifting of Electrical Service Centre For Multi-storeyed Flats on Peshwa Road**

2262. SHRI JERLIE E. TARIANG: Will the Minister of URBAN DEVE-